न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू, आर0ए0एस0

अपील प्र0सं0 63/2022

1. गुरदेव सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति रायसिख उम्र 61 वर्ष जाति रायसिख निवासी 85 आरबी तहसील रायसिंहनगर
2. मनजीतकौर पुत्री श्री महेन्द्र सिंह जाति रायसिख उम्र 59 वर्ष निवासी 85 आरबी तहसील रायसिंहनगर

अपीलांटस

बनाम

1. गुरमुख सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति रायसिख
2. जंगीर कौर पुत्री महेन्द्र सिंह जाति रायसिख
3. प्रेमसिहं पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति रायसिख
3/1 कुलदीप सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति रायसिख
3/2 सुखवीर कौर पुत्री श्री प्रेमसिंह जाति रायसिख
4. गुरजीतसिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति रायसिख
4/1 कुलवंत सिंह पुत्र श्री गुरजीतसिंह जात रायसिख
4/2 रानी पुत्री श्री गुरजीतसिह जाति रायसिख
4/3 बलवंत सिंह पुत्र श्री गुरजीत सिंह जाति रायसिख
5. मक्खन सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासीगण 85 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
6. स्टेट आफ राजस्थान जरियये तहसीलदार, राजस्व रायसिंहनगर

रेस्पोडेन्टस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व आदेश तहसीलंदार, रायसिंहनगर दिनांक 10.10.2002 को निरस्त करने के संबंध में।

उपस्थित : 1. श्री सुशील बिश्नोई अधिवक्ता, अपीलांटस
2. श्री गौरव मिढ्ढा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस की ओर से।

आदेश दिनांक : 27.12.2022

उपरोक्त अपील श्रीमान् जिला कलक्टर, श्री गंगानगर के कार्यालय आदेश कमांक सीजी/वाचक/कार्यविभाजन/2022/36 दिनांक 14–1–2022 के द्वारा रायसिंहनगर तहसील क्षेत्र के राजस्व प्रकरणों की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को दिये जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर के न्यायालय से जरिये पत्रांक 196 दिनांक 9–2–22 के द्वारा पत्रावली इस कार्यालय में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है।

अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील के सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि गंगी पत्नि बैंका सिंह जाति रायसिख निवासी 85 आरबी तहसील रायसिंहनगर के नाम से चक 22 पीएस मे मु. नं. 31 पं. नं. 198/289 के किला नं. 1 ता. 25 में 6.200 हैक्टेयर नहरी भूमि खातेदारी थी, गंगी की मृत्यु के उपरांत दोनों वारिस हरनाम सिंह व महेन्द्र सिंह के नाम से उक्त भूमि का इतंकाल दर्ज हो गया और उसी के अनुसार जमाबंदी में इन्द्राज हो गया। महेन्द्र सिंह व हरनाम सिंह की मृत्यु के उपरांत हरनामसिंह के वारिसान के नाम से इतंकाल सही दर्ज हो गया। महेन्द्र सिंह के फौत होने के बाद उस समय जो महेन्द्र सिंह के वारिस 1. पारो बाई 2. गुरमुखसिंह 3. जंगीरकौर 4. प्रेमसिंह 5. गुरदेवसिंह 6. गुरजीत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सिंह 7. मनजीतकौर 8. मक्खनसिंह जो कि महेन्द्र सिंह (मृतक) के जायज उतराधिकारी थे, इनके द्वारा तहसीलदार के समक्ष वारिसान के नाम इतंकाल दर्ज करने के लिए लिखा गया और बाद जांच हल्का पटवारी द्वारा इतंकाल दर्ज कर लिया गया लेकिन इस इतंकाल में अपीलांट संख्या 01 गुरदेवसिंह के स्थान पर गुरमेलसिंह जो कि अपीलांट संख्या 01 है तथा अपीलांट संख्या 02 मनजीतकौर के स्थान पर मलकीयत सिंह लिख दिया गया जो इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व जमावंदी में इन्द्राज हो गया। पारो बाई जो कि मृतक महेन्द्र सिंह की पत्नि थी, उसका देहांत हो चुका है और उसके कानूनी वारिस अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता. 5 है, इसलिए उसे इस अपील में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि इतंकाल संख्या 134 दिनांक 10.10.2002 जो इतंकाल दर्ज किया गया है उसमें अपीलांट संख्या 1 गुरदेवसिंह के स्थान पर गुरमेलसिंह तथा अपीलांट संख्या 2 मनजीतकौर के स्थान पर मलकीयत सिंह लिख दिया गया, जिसे गुरमेलसिंह के स्थान पर गुरदेव सिंह तथा मलकीयत सिंह के स्थान पर मनजीतकौर किया जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि गंगी पत्नि बैंका सिंह जाति रायसिख निवासी 85 आरबी तहसील रायसिंहनगर के नाम से चक 22 पीएस मे मु. नं. 31 पं. नं. 198/289 के किला नं. 1 ता. 25 में 6.200 हैक्टेयर नहरी भूमि खातेदारी थी, गंगी की मृत्यु के उपरांत दोनों वारिस हरनाम सिंह व महेन्द्र सिंह के नाम से उक्त भूमि का इतंकाल दर्ज हो गया और उसी के अनुसार जमाबंदी में इन्द्राज हो गया। महेन्द्र सिंह व हरनाम सिंह की मृत्यु के उपरांत हरनामसिंह के वारिसान के नाम से इतंकाल सही दर्ज हो गया। महेन्द्र सिंह के फौत होने के बाद उस समय जो महेन्द्र सिंह के वारिस 1. पारो बाई 2. गुरमुखसिंह 3. जंगीरकौर 4. प्रेमसिंह 5. गुरदेवसिंह 6. गुरजीत सिंह 7. मनजीतकौर 8. मक्खनसिंह जो कि महेन्द्र सिंह (मृतक) के जायज उतराधिकारी थे, इनके द्वारा तहसीलदार के समक्ष वारिसान के नाम इतंकाल दर्ज करने के लिए लिखा गया और बाद जांच हल्का पटवारी द्वारा इतंकाल दर्ज कर लिया गया लेकिन इस इतंकाल में अपीलांट संख्या 01 गुरदेवसिंह के स्थान पर गुरमेलसिंह जो कि अपीलांट संख्या 01 है तथा अपीलांट संख्या 02 मनजीतकौर के स्थान पर मलकीयत सिंह लिख दिया गया जो इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी में इन्द्राज हो गया। पारो बाई जो कि मृतक महेन्द्र सिंह की पत्नि थी, उसका देहांत हो चुका है और उसके कानूनी वारिस अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता. 5 है, इसलिए उसे इस अपील में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः इतंकाल संख्या 134 दिनांक 10.10.2002 जो इतंकाल दर्ज किया गया है उसमें अपीलांट संख्या 1 गुरदेवसिंह के स्थान पर गुरमेलसिंह तथा अपीलांट संख्या 2 मनजीतकौर के स्थान पर मलकीयत सिंह लिख दिया गया, जिसे गुरमेलसिंह के स्थान पर गुरदेव सिंह तथा मलकीयत सिंह के स्थान पर मनजीतकौर किया जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि जमाबंदी व इतंकाल में दर्ज नाम अपीलांट संख्या 01 गुरदेव सिंह के स्थान पर जो गुरमेल सिंह लिखा गया है उसके सही करके गुरदेव सिंह किया जाता है और अपीलांट संख्या 2 जो मनजीतकौर के स्थान पर मलकीयत सिंह लिखा गया है वो सही करे मनजीतकौर कर दिया जाता है तो

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

रेस्पोडेण्टस को कोई एतराज नहीं है। इसलिए अपील को स्वीकार किये जाने में उसे कोई आपति नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरण संख्या 134 दिनांक 10.10.2002 को स्वीकृत किया गया है। अभिलेख एवं वारिस प्रमाण पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि महेन्द्र सिंह के वारिस 1. पारो बाई 2. गुरमुखसिंह 3. जंगीरकौर 4. प्रेमसिंह 5. गुरदेवसिंह 6. गुरजीत सिंह 7. मनजीतकौर 8. मक्खनसिंह जो कि महेन्द्र सिंह (मृतक) के जायज उतराधिकारी थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इतंकाल में गुरमेलसिंह व मलकीयतसिंह दर्ज किया गया है जो महेन्द्र सिंह के जायज उतराधिकारी नहीं है। अतः मेरे विन्रम मत में प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2022 को निरस्त किया जाता है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारों को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12–01–2023 को उपस्थित हों।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 27.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उम्मेद सिंह रतनू)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner